# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **के0सी0 जैन**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–598–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–12–2013 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील गुढ़ जिला रीवा प्रकरण क्रमांक–18/अ–6अ/2011–.12 एवं 10/अ–6अ/12–13.

---

1– रामपति पिता तुलसी पटेल
2– मु0 रामरती विधवा पत्नी तुलसी
निवासीगण ग्राम रीठी तहसील गुढ़
जिला रीवा म0प्र0 ––– आवेदकगण

विरूद्ध

1– मु0 भगवनिया विधवा पत्नी रामसियाम्बर
2– सीताराम पिता रामसियाम्बर
3– बीरभान पिता रामसियाम्बर
4– राधेलाल पिता ग्यादीन पटेल
5 मु0 बतसिया विधवा पत्नी छोटेलाल पटेल
6 रामानुज पटेल पिता छोटेलाल पटेल
7– रामप्रताप पटेल पिता छोटेलाल पटेल
8– रामसेवक पटेल पिता छोटेलाल पटेल
9– श्रीमती प्रेमवती पुत्री छोटेलाल
10– श्रीमती कुसुम कली पुत्री छोटेलाल पटेल
निवासीगण ग्राम रीठी तहसील गुढ़
जिला रीवा म0प्र0 ––– अनावेदकगण

.....

श्री अमित सिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री श्यामरोलाल पाण्डे,अभिभाषक अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 25/7/2016 को पारित )

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 18/अ–6अ/2011–12 एवं 10/अ–6अ/12–13 में पारित आदेश दिनांक 24–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर किया है कि ग्राम उमरी स्थित भूमि खसरा कमांक 368 रकवा 2.144 है0 जो अनावेदकगण एवं आवेदक गण के पूर्व भूमि स्वामी ग्यादीन थों उनके वारसान पुत्र तुलसी, रामसियाम्बर, छोटेलाल मृत है राधेलाल मौजूद है । तुलसी के वारसान पुत्र रामपति एवं विधवा रामरती है, रामसियाम्बर के वारसान बीभान तथा छोटेलाल के वारसान पत्नी बतसिया पुत्र पुत्र रामानुज , रामप्रताप रामसेवक एवं पुत्र प्रेमवती व कुशुमकली है इस प्रकार आनवेदकगण उक्त भूमि में 3/4 एवं अनावेदकगण 1/4 के हिस्सेदार हैं।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 5.10.11 को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि अनोवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण समय सीमा के बाहर है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण द्वारा प्ररतुत आवेदन दिनांक 22.11.11 को निरस्त कर दिया जिस आदेश को आवेदकगण के द्वारा अपर कलेक्टर की अदालत में चुनौती दी जहां पर अपर कलेक्टर की अदालत में चुनौती दी जहां पर अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय से दिनांक 27.6.12 को तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.10.11 निरस्त कर प्रकरण म्याद बिन्दु पर निर्णय करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। उनके द्वारा यह भी तक किया गया है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के यहां समय सीमा से बाहर है जो उनके द्वारा अंदर म्याद माने की भूल की है । अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदक के हित में आदेश पारित करें।

4– आवेदक अधिवक्ता की बहस सुनी तथा उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीनल किया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है।

5–प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य परीक्षण से पाया जाता है कि आवेदित भूमि वर्ष 2008–09 तक आवेदकगण एवं अनावेदकगण के नाम सहखाते में दर्ज थी । खसरे में किसी आदेश की पृविष्ट नहीं है जिससे प्रतीत होता है कि अभिलेख में त्रुटिवश सहखतेदारों के नाम दर्ज नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि तहसीलदार तहसील गुढ का आदेश दिनांक 24.12.13 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ । अतः परिणामस्वरूप प्रस्तुत निगरानी आधार हीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर